:: आदेश ::

शासकीय कार्यों की सुगमता के दृष्टिगत जनपद स्तरीय समस्त विभागों के कार्यालयध्यक्षों / अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि कोई भी अधिकारी बिना अधोहस्ताक्षरी से अवकाश स्वीकृत कराये अथवा पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे, तथा जिन अधिकारियों का अपने विभागीय नियंत्रक प्राधिकारी (controlling authority) से अवकाश स्वीकृत कराना नियमानुकूल है, के द्वारा इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी से पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

उच्च स्तर यथा निदेशालय / शासन में आहूत बैठकों में प्रतिभाग करने से पूर्व अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त की जायेगी। अपरिहार्य कारणों से मुख्यालय छोड़ने हेतु अधोहस्ताक्षरी के सी.यू.जी. मोबाइल नं0 6397346761 पर पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाए। साथ ही समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी दैनिक रूप से नियत समय पर अपने कार्यालय में उपस्थित होना भी सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त समस्त अधिकारी / कर्मचारी हर समय अपना मोबाइल फोन switch on रखते हुए सक्रिय रहेंगे।

अधोहस्ताक्षरी के उक्त आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह०/-

(मनुज गोयल)
जिला मजिस्ट्रेट,
रुद्रप्रयाग।

कार्यालय : जिला मजिस्ट्रेट, रुद्रप्रयाग।

संख्या: 397 / वै0अधि0 / 2020 दिनांक: 26 नवम्बर, 2020

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— स्टॉफ ऑफिसर—मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3— पुलिस अधीक्षक, रुद्रप्रयाग।
4— प्रभारी अधिकारी (सं0का0), जिला कार्यालय, रुद्रप्रयाग।
5— समस्त कार्यालयध्यक्ष, जनपद रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ एवं अक्षरशः अनुपालनार्थ प्रेषित।
6— जिला सूचना अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
7— जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, NIC, रुद्रप्रयाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को जनपद की वेबसाइट www.rudraprayag@nic.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

जिला मजिस्ट्रेट,
रुद्रप्रयाग।